

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. :::: 24/2020
सरकार बनाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्योप्रसाद,
जाति-खाती, निवासी-अगवाना खुर्द

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 16.07.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सुभाषचन्द्र पुत्र श्योप्रसाद, जाति-खाती, निवासी-अगवाना खुर्द द्वारा रोही मौजा अगवाना खुर्द की राजकीय भूमि ख.नं. 464/93 के कुल रकबा 0.07 है 0 किस्म जोहड़ में से कुल रकबा 0.05 है 0 भूमि पर, पक्की दुकान, मकानात व छड़ी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल की ओर से एडवोकेट अशोक शर्मा एवं राजेश चिरानिया के अभिभाषक पत्र पेश किये गये। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद गैर सायल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 16.07.2020 को बार बार आवाज लगवाने पर भी गैर सायल स्वयं अथवा उसके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 03 पर
वर्ष 2020-21 में रुपये 1.51 कायम किए
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़